प्रेषक,

रंग बहादुर सिंह,
उप सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

अधिशासी अधिकारी, नगर पंचायत धौराटॉडा **(बरेली)** ।

नगर विकास अनुभाग-5 लखनऊ दिनांक 23 जुलाई, 2015

विषय- वित्तीय वर्ष 2015-16 में 'शहरी क्षेत्रों में अन्तयेष्टि स्थलों का विकास' योजना के अन्तर्गत द्वितीय किश्त की स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषय के सम्बन्ध में शासनादेश सं0-140/2015-1877/नौ-5-2015-197 बजट/2014, दिनांक 04.04.2015, के अनुक्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि **'शहरी क्षेत्रों में अन्तयेष्टि स्थलों का विकास' योजना'** के अन्तर्गत के लिए चालू वित्तीय वर्ष 2015-2016 में नगर पंचायत धौराटॉडा **(बरेली)** को द्वितीय एवं अंतिम किश्त के रूप में अन्त्येष्टि स्थल के विकास हेतु कुल रू0 46.45 लाख (रू0 छियालीस लाख पैतालीस हजार मात्र) की धनराशि अवमुक्त किये जाने पर श्री राज्यपाल महोदय निम्नलिखित विवरण शर्तो/प्रतिबन्धों के अधीन सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

क्र. सं.	जनपद का नाम	नागर निकाय का नाम	शासनादेश सं0 एवं दिनांक, जिसके द्वारा प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति के साथ ही प्रथम किश्त की धनराशि अवमुक्त की गयी है।	शासनादेश दिनांक 18.02.2015 द्वारा निर्धारित प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति की धनराशि	शासनादेश दिनांक 18.02.2015 द्वारा अवमुक्त प्रथम किश्त की धनराशि	स्वीकृत द्वितीय एवं अंतिम किश्त की धनराशि
01	02	03	04	05	06	07
01	बरेली	नगर पंचायत धौराटॉडा	140/2015-1877/नौ-5-2015-197 बजट /2014, दि0 04.04.2015	92.90	46.45	46.45
योग				92.90	46.45	46.45

(रू0 छियालीस लाख पैतालीस हजार मात्र)

1. शासनादेश सं0-140/2015-1877/नौ-5-2015-197 बजट/2014, दिनांक 04.04.2015, द्वारा निर्धारित शर्तों का अनुपालन सम्बन्धित नागर निकायों द्वारासुनिश्चित किया जाय।
2; स्वीकृत धनराशि के आहरण हेतु निकाय द्वारा प्रस्तुत बिल संबंधित जनपद के जिलाधिकारी/ सक्षम अधिकारी द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित किया जायेगा, जिसे संबंधित जनपद के मुख्य कोषाधिकारी/कोषाधिकारी द्वारा निकाय के खाते में सीधे जमा किया जायेगा। उक्त के अतिरिक्त आहरित धनराशि किसी अन्य बैंक/डाकघर /पी.एल.ए./ डिपाजिट खाते में नहीं रखी जायेगी।
3. स्वीकृत धनराशि निर्धारित अवधि में उन्हीं कार्यो पर व्यय की जायेगी, जिसके लिए स्वीकृत की गयी है।

go samsan mangal font

4. योजनान्तर्गत शासनादेश संख्या-5251/नौ-5-2014-329सा/2014 दिनांक 09 सितम्बर, 2014 एवं 05 जनवरी 2015 द्वारा निर्गत दिशा-निर्देशों का अनुपालन कराया जायेगा।

6. कार्य प्रारम्भ होने के उपरान्त भूमि के विवादित पाये जाने तथा कार्य कराये जाने पर व्यय धनराशि को शासकीय धनराशि का अपव्यय मानते हुए इसकी वसूली संबंधित नगर निकाय से कराकर राजकोष में जमा करायी जायेगी।

7. सामग्री/सम्पूर्ति का क्रय वित्त विभाग के क्रयादेशों के अनुसार किया जाय। यथावश्यक सामग्री की पूर्ति टेण्डर/रेट कान्टरेक्ट/डीजीएसएण्डडी की दरों पर ही किया जाय।

8. कार्य की विशिष्टियां, मानक व गुणवत्ता की जिम्मेदारी संबंधित निकाय की होगी तथा निकाय द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा कि कार्य निर्धारित समय सीमा अवधि में ही पूर्ण हो जाय।

9. स्वीकृत धनराशि का व्यय वित्तीय हस्तपुस्तिका के सुसंगत प्राविधानों/समय-समय पर शासन द्वारा निर्गत शासनादेशों के अनुरूप किया जायेगा।

10. प्रश्नगत धनराशि जिस कार्य/मद में स्वीकृत की जा रही, उसका व्यय प्रत्येक दशा में उसी कार्य/मद में किया जाया सामग्री/उपकरणों का क्रय वित्तीय नियमों के अनुसार किया जायेगा।

11. स्वीकृत किये जा रहे कार्य की वर्तमान तथा भविष्य में अन्य योजनाओं/कार्यक्रमों में पुनरावृत्ति नहीं की जायेगी। यह भी सुनिश्चत किया जायेगा कि इस कार्य हेतु पूर्व में किसी अन्य स्रोतों से धनराशि स्वीकृत नहीं की गयी है तथा न ही यह कार्य किसी अन्य योजना में सम्मिलित है।

12. कार्यस्थल पर राज्य स्तरीय टास्क फोर्स द्वारा नियत **'डिस्पले बोर्ड'** पर कार्य का पूर्ण विवरण, कार्यदायी संस्था, कार्य प्रारम्भ होने की संभावित तिथि आदि का उल्लेख किया जायेगा।

13. व्यय की गयी धनराशि का उपयोगिता प्रमाण-पत्र गठित किये गये आगणन में उल्लिखित कार्यों के सापेक्ष कार्यवार शासन तथा महालेखाकार, उत्तर प्रदेश इलाहाबाद को दिनांक 31-03-2016 तक भेजा जाना अनिवार्य होगा।

14. प्रस्तावित कार्य पूर्ण होने पर सम्परीक्षित लेखे अवश्य प्रस्तुत किये जायें।

15. वित्तीय मामलों में संबंधित विशिष्ट शर्तो का अनुपालन वित्त नियंत्रक/मुख्य/ वरिष्ठ / लेखधिकारी अथवा सहायक लेखाधिकारी, जैसी भी स्थिति हो, सुनिश्चत करेंगे। यदि निर्धारित शर्तो का किसी प्रकार का विचलन हो, तो संबंधित वित्त नियंत्रक का दायित्व होगा कि उनके द्वारा मामले की सूचना पूर्ण विवरण सहित वित्त विभाग को दे दी जाय।

2- स्वीकृत धनराशि का व्यय वर्तमान वित्तीय वर्ष 2015-16 के आय-व्ययक के अनुदान संख्या-37 के अन्तर्गत स्वीकृत धनराशि का व्यय आयोजनागत **लेखाशीर्षक '2235 -सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण-60-अन्य सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण कार्यक्रम-800-अन्य व्यय-03-शहरी क्षेत्रों में अन्तर्येष्टि स्थलों का विकास-20-सहायक अनुदान-सामान्य (गैर वेतन)'** के नामे डाला जायेगा।

3- यह आदेश वित्त विभाग द्वारा प्रशासकीय विभागों को प्रदत्त अधिकारों के अधीन निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(रंग बहादुर सिंह)
उप सचिव।

go samsan mangal font

संख्या-256/2015-4375(1)/नौ-5-2015-115बजट/2015,तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

1. महालेखाकार, उ.प्र. इलाहाबाद।
2. मण्डलायुक्त, बरेली ।
3. जिलाधिकारी, बरेली ।
4. कोषाधिकारी, बरेली ।
5. निदेशक, स्थानीय निकाय, उत्तर प्रदेश लखनऊ।
6. निदेशक, स्थानीय निधि लेखा परीक्षा, उ.प्र. इलाहाबाद।
7. अध्यक्ष, नगर पंचायत धौराटोंडा (बरेली) ।
8. वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-8/वित्त आय व्ययक (अनुभाग-1)
9. गार्ड फाईल/कम्प्यूटर सेल/सुपर यूजर, नगर विकास विभाग, उ.प्र. शासन।

आज्ञा से,

(रंग बहादुर सिंह)
उप सचिव।

go samsan mangal font

Allotment Grid Report

वित्तीय वर्ष:-2015-2016

आवंटन दिनांक-23/07/2015

प्रेषण संख्या:- 256-2015

आवंटन आदेश संख्या:- 001-256-2015-4375-9-5-2015-115B-15

अनुदान संख्या:- 37 नगर विकास विभाग(वित्तीय वर्ष 2015-2016 का आवंटन)

लेखाशीर्षक:- 2235 - सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण(आयोजनागत-मतदेय)

60 - अन्य सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण कार्यक्रम

800 - अन्य व्यय

03 - शहरी क्षेत्रों में अन्त्येष्टि स्थलों का विकास

(धनराशि रु. में)

S.No.	अधिकारी/जनपद का नाम		20-सहायता अनुदान - सामान्य (गैर वेतन)	योग
1	बरेली-4183-जिलाधिकारी , --01--	वर्तमान	4645000	4645000
		प्रगामी	33723000	33723000
	योग	वर्तमान	4645000	4645000
		प्रगामी	33723000	33723000

महायोग- (वर्तमान आवंटन):- रूपया छियालीस लाख पैंतालीस हजार

महायोग- (प्रगामी आवंटन):- रूपया तीन करोड़ सैंतीस लाख तेइस हजार

(उमा शंकर सिंह)

विशेष कार्याधिकारी